UPAL010020332026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अलीगढ़।

पीठासीन अधिकारी–(PANKAJ KUMAR AGRAWAL)(उच्चतर न्यायिक सेवा)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–926 सन् 2026

मौहम्मद अमन पुत्र मौ0 फुरकान निवासी–गली नम्बर–05,उरमानिया मस्जिद के पास मौलाना आजाद नगर, थाना क्वार्सी, जनपद–अलीगढ़।

.... अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ....विपक्षी/वादी

आदेश

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आदेशार्थ पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना पत्र **प्रार्थी/अभियुक्त मौहम्मद अमन पुत्र मौ0 फुरकान द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1205/2025, धारा–109(1),131,191(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना क्वार्सी, जिला** अलीगढ.में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक–09.12.2025 समय 8.30 बजे रात वादी बसीम को उसके पुत्र दोस्त **अमन** व आमिर रामनगर फाटक पर मिले फिर आमिर द्वारा पीछे से कॉच की बोतल से हमला किया गया कुछ अज्ञात चार व्यक्तियों द्वारा पकड लिया गया, अमन द्वारा धारदार चाकू से वादी पर हमला करने लगा फिर वादी घायल हो गया और वादी का पडौसी मुनव्वर द्वारा लगाया गया चारो तरफ के कुछ पब्लिक देखकर पहले ही भाग गये। मुनव्वर द्वारा वादी को उठाकर पास के सिविल लाइन चौकी जमालपुर ले गया उसके बाद पुलिस द्वारा एम्बुलेंस हेल्प लाईन पर काल कर दी गयी कि कुछ समय में एम्बुलेंस आयी और वादी को दीनदयाल मेडीकल ले गयी उसके बाद वादी का टीटमेंट करते समय पुलिस द्वारा वादी का बयान लिया गया। हमलाकर्ता आमिर व अमन एवं चार अज्ञात व्यक्ति है। इनके द्वारा वादी पर जानलेवा हमला किया गया।

4. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क दिया गया है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है उसने कोई जुर्म नही किया है। मात्र मुकदमें से बचने के लिए झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन की देरी से दर्ज करायी गयी है, देरी का कोई भी स्पष्टीकरण नही दर्शाया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा

जान से मारने की नीयत से हमला करना नही दर्शाया गया है। वादी के आयी चोटें प्राणघातक नही है। अभियुक्त व उसका भाई आमिर का खाना पकाने का कार्य करते है।दिनांक–09.12.2025 को राम करीब 10.30 बजे दोनो भाई एक शादी में खाना पका कर वापस अपने घर जमालपुर रेलवे फाटक से पुल के नीचे से आ रहे थे कि रेलवे लाइन पर पहले से मौजूद वसीम व उसके चार–पॉच साथी जिन्हे अभियुक्त नही जानता है, देखने पर पहचान लेगा शराब का सेवर कर रहे थे। अभियुक्त व उसके साथी के पहुंचते ही अभियुक्त व उसके भाई को गालिया देने लगे। अभियुक्त द्वारा विरोध करने पर आमादा फसाद हो गये उक्त वसीम के हाथ में चाकू था जिससे उसने वादी व उसके भाई पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया चाकू से अभियुक्त व उसके भाई के कई गहरे घाव हो गये हैं। हमले से खुद को बचाने के लिए अंधेरे में अभियुक्त ने लाइन पर पड़ी गिटटी से उक्त लोगो को मारना शुरू कर दिया और किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर पर आये। उक्त लोग अभियुक्त व उसके भाई को जान से मारने की धमकी दे रहे है। इस घटना की लिखित तहरीर अभियुक्त द्वारा दिनांक–10.12.2025 को थाना क्वार्सी पर दी गयी परन्तु कोई भी मुकदमा दर्ज नही किया गया जबकि अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र देने के दूसरे दिन दिनांक–11.12.2025 को वसीम से प्रार्थना पत्र लेकर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभियुक्त द्वारा एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ को स्वयं जाकर दिया परन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही की गयी। अभियुक्त को गिरफतार करने हेतु बार बार पुलिस दविश दे रही है। अभियुक्त पूर्व दण्डित नही है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त तहरीर में नामित अभियुक्त है। तहरीर के अनुसार दिनांक 09.12.2025 को समय 08.30 PM पर वादी के दोस्त अमन व आमिर मिले। आमिर ने पीछे से बोतल से हमला किया और अज्ञात 04 व्यक्तियों द्वा-रा पकड़ लिया गया और अमन द्वारा धारदार चाकू से वादी पर हमला किया गया। वादी मुकदमा द्वारा बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. में तहरीर में उल्लिखित कथन का समर्थन किया गया है। वादी की आहत आख्या के अनुसार वादी को निम्न चोटें आना दर्शित किया गया है–

1. **Lacerated wound size 3.5X1 CM on left side of forehead 3CM above from left eyebrow KUO Adv X–ray skull.**

2. Lacerated wound size 2X0.5CM on left side of forehead just above from left eyebrow.
3. Lacerated wound size 3X1CM on left side of head 2CM above from left ear.
4. Reddish abrasion size 3X1CM on left side of face.
5. Reddish abrasion size 0.5X0.3CM on left ear pinna.
6. Reddish abrasion size 0.5X0.5CM on dorsal aspect of right small finger and 0.5X0.5CM right ring finger.
7. Lacerated wound size 3X1CM on left side face just away from left ear.
8. Smell of alcohol from mouth breath is present.

वादी की चोट नंबर 01 को जेरे निगरानी रखा गया है तथा शेष चोटों को साधारण प्रकृति की होना व कठोर कुन्दालय से आना दर्शित किया गया है। चुटहैल की एक्स–रे रिपोर्ट के अनुसार कोई असामान्यता होना नहीं पाया गया है। चुटहैल की आहत आख्या में धारदार हथियार की चोट आना दर्शित नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना अभियुक्त की अग्रिम जमानत हेतु आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **मौहम्मद अमन** पुत्र मौ0 फुरकान द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1– अभियुक्त के द्वारा मु0 पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए, दाखिल किया जायेगा।

2– अभियुक्त किसी भी साक्षी को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई धमकी, वचन या प्रवंचन नही करेगा और न ही साक्ष्य को विनष्ट करने में किसी प्रकार से लिप्त होगा।

3– अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा और वह विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत या जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

दिनांक–06.03.2026

(पंकज कुमार अग्रवाल)
ID No.UP-1897
सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़।

टाइपकर्ता– कृतिका (आशुलिपिक)

Digitally signed by PANKAJ KUMAR AGRAWAL
Date: 2026.03.06 17:11:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court